

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1995 सत्र

## विभिन्न कार्य कुरुक्षी

मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी, 1995 (फाल्गुन 2, 1918)

समय 10.30 बजे तिथि

### 1. प्रस्तोतर

पुथकता वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेगी तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधिव्यक्त कर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) पटल पर रखेंगे।

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशारान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-क की उपचारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार विशेषज्ञ इन्वेस्टिमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

### 4. नियम 138 (1) के अधीन व्यापारवर्जन

(1) श्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, गुना के निकट एक बिट्ठी की खाद्यान धसकने से आर अभियों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड ज़िले के नदांगोंव पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट और लूटपाट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 5. शासकीय विधि विवरण कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं सेसदीय कार्य मंत्री, दप्त प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) के पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुनर्स्थापित करेंगे।

### 6. राज्यपाल के अधिभावन पर श्री रविन्द्र शर्मा, सदस्य, द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 1995 को प्रस्तुत लिम्नलिंगित प्रलक्षण पर चर्चा (कलमशब्द) :-

"राज्यपाल ने जो अधिभावन दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सम्प्रयोग अत्यन्त कृतज्ञ है"।

भोपाल :  
दिनांक : 20 फरवरी, 1995

विद्यालय विधान  
सभिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा